

बिल का सारांश

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बिल, 2017

- इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बिल, 2017 को 28 दिसंबर, 2017 को पेश किया गया। यह बिल इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 में संशोधन करता है और नवंबर में जारी किए गए इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का स्थान लेता है। संहिता कंपनियों और व्यक्तियों की इनसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। इनसॉल्वेंसी वह स्थिति है, जब व्यक्ति या कंपनियां अपनी बकाया ऋण नहीं चुका पाते।
- रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की योग्यता :** संहिता स्पष्ट करती है कि इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल डीफॉल्टिंग कंपनी का नियंत्रण संभालेगा और एप्लीकेंट्स से रेजोल्यूशन प्लान सौंपने को कहेगा। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल केवल उन्हीं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को प्लान सौंपने को कहेगा जो उसके या इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेंगे। प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित मानकों को क्रेडिटर्स की कमिटी द्वारा पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी।
- रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की अयोग्यता :** बिल संहिता में एक अन्य प्रावधान को सम्मिलित करता है। यह प्रावधान कुछ व्यक्तियों को रेजोल्यूशन प्लान सौंपने से प्रतिबंधित करता है। एक व्यक्ति रेजोल्यूशन प्लान सौंपने के अयोग्य है, अगर : (i) वह अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट है (ऐसा व्यक्ति जो अपना ऋण नहीं चुका सकता), (ii) वह विलफुल डीफॉल्टर है (यानी उसने जानबूझकर डीफॉल्ट किया है), (iii) उसके एकाउंट को एक वर्ष से अधिक समय से नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में चिन्हित किया गया है और उसने प्लान सौंपने से पहले वह राशि नहीं चुकाई है, (iv) उसे ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसकी सजा दो या उससे अधिक वर्षों का कारावास है, (v) उसे कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत निदेशक के रूप में अयोग्य ठहराया गया है, (vi) उसे सेबी द्वारा सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने से प्रतिबंधित किया गया है, (vii) वह ऐसी कंपनी का प्रमोटर है या उसके प्रबंधन में रहा है जोकि अंडरवैल्यूड, प्रिफरेंशियल या धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल है, (viii) उसने रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन में जाने वाली डीफॉल्टिंग कंपनी की लियबिलिटी पर गारंटी दी है और उस गारंटी को नहीं निभाया है, (ix) वह भारत से बाहर इनमें से किसी गतिविधि में शामिल है, अथवा (x) वह उपरोक्त किसी भी व्यक्ति से संबंधित है (इसमें प्रमोटर या रेजोल्यूशन प्लान को लागू करने के दौरान डीफॉल्टिंग कंपनी का नियंत्रण संभालने वाले व्यक्ति शामिल हैं)। अगर ऐसे लोग अधिसूचित कमर्शियल बैंकों, एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों और वैकल्पिक निवेश फंड्स से जुड़े हुए हैं तो बिल इन एंटीटीज़ को इससे छूट देता है।
- रेजोल्यूशन प्लान की मंजूरी :** संहिता स्पष्ट करती है कि क्रेडिटर्स की कमिटी 75% के बहुमत से रेजोल्यूशन प्लान को मंजूर करेगी। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि कमिटी 75% के बहुमत के साथ रेजोल्यूशन प्लान को मंजूर करेगी जोकि इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगा।
- इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के जारी होने से पहले सौंपे गए रेजोल्यूशन प्लान को क्रेडिटर्स की कमिटी द्वारा उन स्थितियों में मंजूर नहीं किया जाएगा, जब उसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होने के अयोग्य व्यक्ति

द्वारा सौंपा गया हो। बिल ऐसे प्लान्स को मंजूर करने से क्रेडिटर्स की कमिटी को प्रतिबंधित करता है।

- **लिविक्वडेशन** : संहिता के अंतर्गत इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लिविक्वडेशन की स्थिति में देनदार की चल या अचल संपत्ति को बेचने की अनुमति दी गई है। बिल इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इस संपत्ति को ऐसे किसी व्यक्ति को बेचने से

प्रतिबंधित करता है जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होने के अयोग्य है।

- **दंड** : बिल एक अन्य प्रावधान को सम्मिलित करता है और स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति संहिता के ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए संहिता में कोई दंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो उसे एक लाख रुपए से दो करोड़ रुपए के बीच का जुर्माना भरना पड़ेगा।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।